भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2196
उत्तर देने की तारीख 12 मार्च, 2025

सुदूर/ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाएं

2196. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राजस्थान सहित देश भर में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक संचार सुविधाओं से पूर्णतया संतृप्त करने के लिए कोई विशेष योजना प्रस्तावित है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा कॉल ड्रॉप को रोकने तथा दूर दराज के क्षेत्रों में निर्बाध संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) राजस्थान सहित देश के सुदूरवर्ती और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के सेवा से वंचित गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट स्कीमों को वित्तपोषित करती है:

क्र. सं.	स्कीम
1	4जी सैचुरेशन
2	आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 7287 गांव

क्र. सं.	स्कीम
3	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र चरण-II
4	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र चरण-I उन्नयन
5	अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों के सेवा से वंचित गांव
6	मेघालय और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर स्थित सेवा से वंचित गांव
7	आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 502गांव
8	सेवा से वंचित 354 गांवों के लिए स्कीम
9	लक्षद्वीप द्वीप समूह में मोबाइल सेवाएं
10	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-4 (एनएच) पर स्थित सेवा से वंचित गांव

(ग) सरकार द्वारा देश में नेटवर्क संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

i. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा हाल ही में दूरसंचार सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मापदंडों के लिए सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के मानकों को संशोधित किया गया है। ट्राई नियमित रूप से विभिन्न सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के लिए मानकों के अनुरूप सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी करता है।
ii. मोबाइल सेवाओं के लिए नीलामी के माध्यम से पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आवंटन।
iii. स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग और सरेंडर की अनुमति दी गई है।
iv. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) की मंजूरी के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण।
v. दूरसंचार मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) नियमों की अधिसूचना और पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल के शुभारंभ के परिणामस्वरूप आरओडब्ल्यू अनुमतियों को सुव्यवस्थित किया गया है और दूरसंचार अवसंरचना की संस्थापना के लिए मंजूरी में तेजी आई है।
vi. स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग हेतु समयबद्ध अनुमति के लिए आरओडब्ल्यू नियमों में प्रावधान किया गया है।

*****